

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक
प्रति,

/टीसी/ 61 /उपां/सतना/नग्रानि/ 2018

भोपाल, दिनांक:-

/12/2019

1. कलेक्टर,
जिला सतना (म.प्र.)।
2. उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, सतना (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, सतना
जिला सतना (म.प्र.)।
4. आयुक्त
नगर पालिक निगम सतना
जिला सतना (म.प्र.)।

विषय:-

सतना विकास योजना 2021 में स्मार्ट सिटी सतना परियोजना अंतर्गत ए.बी.डी. क्षेत्र के विकास हेतु उपांतरण बावत।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा सतना विकास योजना 2021 में स्मार्ट सिटी सतना परियोजना अंतर्गत ए.बी.डी. क्षेत्र के विकास हेतु उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक
प्रतिलिपि:-

7537

/टीसी/ 61 /उपां/सतना/नग्रानि/ 2018

भोपाल, दिनांक:-

17 /12/2019

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।


संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone- 0755-2427096

भोपाल दिनांक 17/12/2019

क्रमांक..... 75 34 उपा टी सी / 61/ 2019 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक- 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन एतद द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है की संचालक, सतना स्मार्ट सिटी ए बी डी क्षेत्र के अंतर्गत नीचे दी गई अनुसूची में यथा निर्दिष्ट सतना विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करता है

अनुसूची						
क्रं	ग्राम	खसरा क्रं	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सतना विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क (1) क के अंतर्गत उपांतरित किए जाने वाले भूमि का उपयोग	उपांतरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	सोनोरा	39/1	4.17	आमोद प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	2.30
				आमोद प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	1.33
				आमोद प्रमोद	यातायात एवं परिवहन	0.50
2	37	10.11	आमोद प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	0.51	
			आमोद प्रमोद	यातायात एवं परिवहन	1.01	
3	सेजहता	2 (25%)		सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	यातायात एवं परिवहन	0.10
				औद्योगिक	जल स्रोत	0.12
				औद्योगिक	आमोद प्रमोद	0.75
4	3/1	4.15		औद्योगिक	जल स्रोत	1.24
				औद्योगिक	आमोद प्रमोद	2.90
5	सोनोरा	309	6.69	औद्योगिक	जल स्रोत	1.67
				औद्योगिक	आमोद प्रमोद	3.01
				औद्योगिक	यातायात एवं परिवहन	1.00
				औद्योगिक	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	1.34
6	सोनोरा	308	2.64	औद्योगिक	जल स्रोत	0.53
				औद्योगिक	आमोद प्रमोद	1.71
				औद्योगिक	यातायात एवं परिवहन	0.40

क्रं	ग्राम	खसरा क्रं	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सतना विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग	अधिनियम की धारा २३-क (१) क के अंतर्गत उपांतरित किए जाने वाले भूमि का उपयोग	उपान्तरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
7	सेजहता	4	1.80	औद्योगिक	आमोद प्रमोद	1.62
				औद्योगिक	यातायात एवं परिवहन	0.18
8		4	7.20	कृषि	आवासीय	1.44
				कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	5.04
				कृषि	यातायात एवं परिवहन	0.72
9		124/1	1.21	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	0.24
				कृषि	यातायात एवं परिवहन	0.18
				कृषि	आमोद प्रमोद	0.79
10		125/1	2.43	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	0.73
				कृषि	यातायात एवं परिवहन	0.36
	कृषि			आमोद प्रमोद	1.34	

2/